(13)

न्यायालय—माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर।

प्र. क्र. निगरानी / ग्वालियर / भूराजस्व / 2018 / 4646

श्रीमती निर्मला सिंह फौत पत्नी स्व. श्री चन्द्रशेखर सिंह जरिए वारिसान पुत्र दिनेश कुमार सिंह पुत्र स्व. श्री चन्द्रशेखर सिंह निवासी—बलपुरवा तहसील सोहागपुर जिला शहडोल म0प्र0.........................प्रार्थी / निगरानीकर्ता

बनाम

श्रीमान कलेक्टर महोदय शहडोल जिला शहडोल म0प्र0।..प्रतिप्रार्थी

श्री विनोद कुमार शर्मा एड. द्वारा आज दि. 19-7-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 8-8-18 नियत। 19-7-18 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

आवेदन पत्र वास्ते निगरानी पेश करने की अनुमती दिये जाने वावत।

माननीय न्यायालय,

प्रार्थी / निगरानीकर्ता की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है।

1. यह कि,उक्त उनमान की स्वमेव निगरानी प्रार्थी दिनेश कुमार सिंह पिता श्री स्व. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है जिसमें उसे सफलता मिलने की पूर्ण आशा है।
2. यह कि, उक्त निगरानी में प्रार्थी की माँ श्रीमती निर्माला सिंह पति स्व. चन्द्रशेखर की मृत्यू हो चुकी है और चूंकि निगरानीशुदा आराजी वर्तमान में राजस्व खसरे में म0प्र0 शासन दर्ज है इस कारण मृतिका निर्मला सिंह का वारिसाना नामान्तरण की कार्यवाही नहीं हो सकती है जिस कारण बिना वारिसाना नामान्तरण के ही प्रार्थी द्वारा यह स्वमेव निगरानी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है।
3. यह कि, प्रार्थी / निगरानीकर्ता ग्राम बलपुरवा पटवारी हल्का बलपुरवा तहसील सोहागपुर जिला शहडोल स्थित भूमि खसरा नंबर 141 / 11 / 1 रकवा 0.028 हेक्टेयर जिसके भूमिस्वमी श्रीमती निर्मला सिंह पति स्व. चन्द्रशेखर सिंह थे, का विधिक पुत्र है और चूँकि श्रीमती निर्मला सिंह की मृत्यु हो चुकी है इस कारण प्रार्थी माननीय न्याया में यह स्वमेव निगरानी प्रस्तुत करने हेतु सक्षम है।
4. यह कि, यदि प्रार्थी को आवश्यक पक्षकार नहीं माना गया और उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपूर्वनीय क्षति होगी एवं उसकी पूर्ति किसी भी प्रकार कर पाना संभव नहीं है।

विनोद शर्मा Ad. 19/07/18

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थी / निगरानीकर्ता का यह आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को आवश्यक पक्षकार माने जाने एवं स्वमेव निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने की कृपा करें।

दिनांक—19 / 07 / 2018

प्रार्थी / निगरानीकर्ता

दिनेश कुमार सिंह.......निगरानीकर्ता

द्वारा—अभिभाषक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2
भाग–अ

निगरानी – 4646 / 2018 / शहडोल / भू.रा.

श्रीमती निर्मला सिंह विरूद्ध कलेक्टर शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२० –08–18	प्रकरण प्रस्तुत । तीन बार सुनवाई हेतु आवाज लगाने के पश्चात भी आवेदक अभिभाषक अनुउपस्थित रहे। इसी कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। (आर.के. जैन) 20/8/18 सदस्य	

दिनेश कुमार सिंह.......निगरानीकता